कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 21 /1-13(16) देहरादून दिनांक, 21, दिसम्बर, 2018

पदोन्नति / तैनाती

वैयक्तिक सहायक संवर्ग में मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक क–1308 / 1–3(3) दिनांक 17–12–2018 द्वारा चयन समिति का गठन किया गया था। चयन समिति की दिनांक 18–12–2018 को बैठक आयोजित की गयी। समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 44900–142400 लेविल–7 के कार्मिकों को मुख्य वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 56100–177500 लेविल–10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती** उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित कार्यालय में उल्लिखित शर्तो के साथ जनहित में की जाती है :–

क्र0 सं0	वैयक्तिक अधिकारी का नाम	मण्डल / वृत्त / प्रभाग जिसके अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश कुमार	मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन देहरादून	प्रमख वन संरक्षक, वन्य जीव देहरादून	–
2	श्री नारायण सिंह बोरा	अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हल्द्वानी	अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हल्द्वानी	दिनांक 31–03–2019 को सेवा निवृत्त हो रहे है। प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत हल्द्वानी को आवंटित पद के सापेक्ष।

ITGC

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 सं0 11 / XXVii(7)30(14) / 2017 दिनांक 17–02–2017 के संलग्नक–1 के बिन्दु सं0 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त पदोन्नत वैयक्तिक अधिकारियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 31–12–2018 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त कर देवें और यदि आवश्यकता पडे तो **"एक तरफा"** अवमुक्त किया जाये।

3. उक्त के बावजूद संबंधित वैयक्तिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. कार्मिक की पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त / योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

21/12/18

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं0 21 (1)/1-13(16) तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित वैयक्तिक अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान / गार्ड बुक।

21/12

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।